Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 18, Issue No. 4, July-2021, ISSN 2230-7540

भारत में हिन्दू वैवाहिक अनुतोष की संकल्पना

Sanjay Kumar Sharma[1]*, Dr. Kuldeep Singh[2]

[1] Research Scholar, OPJS University

[2] Associate Professor, Department of Law, OPJS University

सार - ***विवाह की अवधारणा सभी प्रकार के मानव समाजों में पाई जाती है। विवाह के रीति-रिवाज सभी समाजों में एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। यह बहस आज भी जारी है कि विवाह कब अस्तित्व में आया और कब यह समाज का अभिन्न अंग बन गया। विवाह की संस्था मानव समाज में जैविक आवश्यकताओं से उत्पन्न हुई। इसका मूल कारण हमारी जाति को सुरक्षित रखने की चिंता है। अगर सेक्स के बाद पुरुष अलग हो जाता है , गर्भावस्था के दौरान पत्नी की देखभाल नहीं की जाती है, अगर बच्चे के जन्म के बाद वह सक्षम और बड़ी नहीं हो जाती है , तो मानव जाति अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाएगी। अतः विवाह संस्था की उत्पत्ति आत्मसंरक्षण की दृष्टि से हुई है। यह केवल मानव समाज में ही नहीं , बल्कि मनुष्यों के पूर्वज माने जाने वाले गोरिल्ला, चिंपैंजी आदि में भी पाया जाता है। इसलिए, सेक्स के साथ विवाह की उत्पत्ति की राय अप्रमाणिक और अमान्य है। आधुनिक समाज की परिस्थितियों ने विवाह को अस्थिर बना दिया है और विवाह बंधन को तोड़ा जा सकता है और आज व्यक्ति खुशी पाने के लिए एक से अधिक विवाह करने का खतरा मोल लेने को तैयार है। माता-पिता और मित्रगण की भी इसमें सहानुभूति होती है, अतः नये युग में अनेक समाज अटूट एकल विवाह को बनाए रखने की अपेक्षा क्रमिक एकल विवाह ¼Serial Monogamy½ की प्रवृत्ति अपना रहे हैं। इसमें एक विवाह के टूटने के बाद दूसरा विवाह संभव होता है।***

----------X----------

विवाह की अवधारणा

बहुत प्राचीन काल से ही हिंदुओं में विवाह के कई रूप या मतभेद प्रचलित रहे हैं। हिंदू समाज में कई जातियों , संप्रदायों, संप्रदायों और संस्कृतियों का संगम रहा है, इसलिए इसमें विविधता काफी स्वाभाविक है। यदि ये मतभेद नहीं होते और केवल एक ही प्रकार का विवाह प्रचलित था , तो यह निस्संदेह बड़े आश्चर्य की बात होगी। हिंदू समाज में यह मान्यता है कि शादी एक अविभाज्य रिश्ता है और पति-पत्नी के जीवन में तलाक नहीं हो सकता। मृत्यु भी इस संबंध को नहीं तोड़ सकती और सती महिलाएं जन्म के बाद भी अपने पति को प्राप्त करती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मान्यता प्राचीन धार्मिक शास्त्रों और पुराणों से ली गई है , लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में मनुस्मृति और अन्य बाद की स्मृतियों ने विवाह को एक अविभाज्य संबंध माना था। इससे पहले सभी शादियों को यह पवित्रता नहीं मिली थी। महिलाओं के विवाह के बाद , उन्हें कुछ शर्तों के तहत ही दूसरी शादी करने का अधिकार था। मनुस्मृति के बाद कुछ स्मृतियों ने भी महिलाओं के इस अधिकार को स्वीकार किया, लेकिन बाद में हिंदू समाज में महिलाओं की स्थिति गिर गई और उनसे यह अधिकार छीन लिया गया।

विवाह के प्रकार

सूत्र ग्रंथों में मुख्यतः आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। पहला ब्रह्मा विवाह , जिसमें पिता अपनी वयस्क पुत्री का विवाह योग्य वर से करता था। यह समाज में सबसे अच्छी और सबसे स्वीकृत शादी थी। दूसरा, दैवीय विवाह, जिसमें यजमान की पुत्री का विवाह यज्ञ करने वाले पुजारी से किया जाता था। शादी के तीसरे साल में पिता लड़की के बदले दूल्हे से कुछ गाय और बैल ले जाता था। चैथा , प्रजापत्य विवाह, जिसमें लड़की के पिता ने दूल्हे से शादी की और दोनों को धार्मिक गतिविधियों में शामिल होने का आदेश दिया। पांचवां , गंधर्व विवाह, इस वयस्क युवक और लड़की का विवाह अनुराग में ही होता था। छठा, असुर विवाह, जिसमें लड़की को बेच दिया जाता है और लड़की के पिता को दूल्हे की ओर से पैसे मिलते हैं। और कभी-कभी बल से। आठवां

www.ignited.in

पैशाच विवाह, लड़की का विवाह उस व्यक्ति से किया गया था जिसने सोई, बेहोश या पागल लड़की से बलात्कार किया था। राक्षस-विवाह और पैशाच-विवाह को अधर्म विवाह माना जाता था। विद्वानों ने विवाह के मतभेदों को स्वीकार किया है और उनका विस्तार से वर्णन किया गया है। अश्वलायन गृहसूत्र के समय से सूत्रकार और स्मृतिकार नियमित रूप से उनका उल्लेख करते रहे हैं। गौतम बौधायन धर्मसूत्र कौटिल्य, मनु महाभारत, विष्णु धर्मसूत्र याज्ञवल्क्य स्मृति में, नारद ने आठ प्रकार के विवाहों की विशेषताओं और प्रकृति का वर्णन किया है , अर्थात् ब्रह्मा , दैव, अर्श, प्रजापत्य, गंधर्व, असुर, राक्षस और पैशाच।

ब्राह्म विवाह

ब्रह्म विवाह या स्वयंवर विवाह एक लड़की को विद्वान और महान गुणों-कर्म-प्रकृति के एक दूल्हे को सम्मान और सम्मान प्रदान करना है, जिसे लड़की ने खुद को खुश करने के लिए , सम्मानपूर्वक बुलाकर , कपड़े आदि से अलंकृत किया है। इसमें कोई लेनदेन नहीं है। यह शादी। दूसरे शब्दों में, जब कन्या का पिता स्वयं को वेदों का विद्वान और नैतिक वर बताकर अपनी पुत्री को वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके दान करता है , तो वह ब्रह्म विवाह कहलाता है। यानी इस शादी में लड़की का पिता लड़की को सजाकर दूल्हे को देता था. ब्रह्मा विवाह में माता-पिता के संरक्षण में पुत्र-पुत्रियों का विवाह किया जाता था। समाज में ऐसी मान्यता थी कि लड़के या लड़की से शादी करना माता-पिता की जिम्मेदारी होती है।

दिव्य विवाह

यज्ञ तू विते सम्यग्रितविजे कर्म कुर्वते।

अलंकृत्य सुतादानं दैव धर्म प्रक्षते।

यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले ऋत्विक को आभूषणों से अलंकृत कन्या का दान उस समय दैव विवाह कहलाता है जब ज्योतिषतोमादि यज्ञ व्यापक या दीर्घजीवी होते हैं। यानी इसमें दैवीय कार्य में लगा एक योग्य और बुद्धिमान पुजारी कन्या को दूल्हे को देता था।

अर्श विवाह

एकं गोमिथुनं द्वे व वरददय धर्मथ।

न्याप्रदां विधिबदर्शो धर्मः सा उज्यते।

यज्ञ के अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए दूल्हे से एक जोड़ी गाय-बैल या दो जोड़ी बैल लेना और बहू देना अर्श विवाह कहलाता है। यानी इसमें लड़की के पिता दूल्हे की तरफ से गाय और बैल का जोड़ा लेकर बदले में लड़की को देते थे. महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार दूल्हे से एक जोड़ी गाय, बैल या दो जोड़ी बैल लेना और धार्मिक रूप से कन्या दान करना अर्श विवाह है।

प्रजापत्य विवाह

सहोभाउ चरतम धर्ममिति वचननभाष्य चै.

कन्याप्रदानमभ्याचार्य प्रजापत्य विधिः स्मृति..16

आप दोनों को एक साथ धर्म का पालन करना चाहिए। " इस तरह, जब किसी लड़की को आदेश देकर और दूल्हे की पूजा करके दान दिया जाता है , तो इसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। दूसरे शब्दों में , दूल्हा और दुल्हन को यह कहकर वैध तरीके से प्रदान करना , "आप साथ रहना चाहिए और गृहस्थ के धर्म का पालन करना चाहिए ", प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यह विवाह माता-पिता दोनों के स्तर पर खोज करके निर्धारित किया जाता है। इसमें वर और वधू की इच्छा गौण होती है या वसीयत में मौन सहमति होती है माता-पिता। इसमें कोई लेन-देन नहीं है। दयानंद सरस्वती के अनुसार , दूल्हा और दुल्हन को एक यज्ञशाला में एक अनुष्ठान तरीके से एक साथ सभी के सामने घर के कर्मों को यह कहते हुए करें कि वे दोनों सुखी हैं अपनाया, जिसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। [1]

ऊपर दी गई इन चारों शादियों को सबसे अच्छा माना जाता है।

असुर विवाह

जनतिभ्यो द्रविणं दत्त्व कन्यां चैव शक्ति।

कन्याप्रदां स्वच्छचंड्यदासुरो धर्म उच्यते।

जो कोई लड़की के पिता आदि और रिश्तेदारों को लड़की के बदले में पैसे देकर स्वेच्छा से लड़की को स्वीकार करता है, उसे असुर विवाह कहा जाता है , अर्थात लड़की की शादी दूल्हे की ओर से पैसे लेकर की गई थी। कभी-कभी गरीब पिता बेटियों की शादी में दूल्हे की ओर से

[1] पारस दीवान : आधुनिक हिन्दू विधि (सत्रहवाँ संस्करण, 2006) पृ० 105–6.

www.ignited.in

जानवर या पैसे लेते थे। लड़की की कीमत पूछी गई। महर्षि दयानन्द सरस्वती के शब्दों में वर-वधू की जाति को यथासम्भव अधिक से अधिक धन देना , गृहकार्य आदि करना असुर विवाह कहलाता है।

गंधर्व विवाह

इच्छा-अन्य्योन्यासयोगः कन्यायश्च वर्स्य च।

गंधर्वः सतु विज्ञानयो मथुन्याः कामसंभवः।

वर-वधू का आपस में अपनी मर्जी से मिलन गंधर्व विवाह कहलाता है। यानी इसमें दूल्हा-दुल्हन का विवाह माता-पिता की अनुमति के बिना किया गया था। गंधर्व विवाह क्षत्रियों में अधिक लोकप्रिय था। इसमें लड़की का अपहरण कर उसकी मर्जी से शादी की गई। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार वर-वधू की इच्छा से दोनों का मिलन और मन में यह विश्वास करना कि हम दोनों पति-पत्नी हैं, इसे ही लिंग से विवाह कहते हैं।

राक्षस विवाह

हत्व चित्व चा भित्वा चा क्रोशन्ति रुदति गृहात।

प्रसहय कन्याहारनम् दैत्य विधिरुच्यते।

जब कोई लड़की रोती-चिल्लाती है तो कन्या पक्ष के लोगों को गाली देकर , घर की रक्षा करने वाली दीवार आदि तोड़कर जबरन घर से निकाल दिया जाता है, तो इसे राक्षस विवाह कहते हैं। यानी इसमें लड़की को उसके पिता और घरवालों से जबरन छीन कर शादी कर ली. महर्षि दयानन्द सरस्वती ने दैत्यों के विवाह के सम्बन्ध में कहा है कि छेड़खानी अर्थात् बलपूर्वक अपहरण करके रोती , कांपती और भयभीत कन्या से विवाह करना आसुरी विवाह है।[2]

पैसेच विवाह

सुप्तान मट्टन प्रमत्तन वा रहो यत्रो पगछती।

सा पैष्टो विवाहनं पैशाचशष्टमोधामः।

जब दूल्हे एकांत में सोई हुई, नशे में या उन्मत्त लड़की को ले जाता है, तो सभी विवाहों में इस विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। इसका उपयोग किया गया था। इन आठ विवाहों में शास्त्रों ने पहले चार को श्रेष्ठ और अंतिम चार को निंदनीय बताया है। पहले चार में भी श्रेष्ठता की भावना है। इसमें ब्रह्म विवाह सबसे ऊंचा और प्रजापत्य सबसे कम है। ब्राह्मण के लिए पहले चार प्रकार के विवाह मान्य माने जाते हैं। लेकिन गंधर्व, असुर और राक्षस विवाह भी क्षत्रियों के लिए मान्य माने जाते हैं। वैश्य और शूद्रों के लिए असुर, गंधर्व और पैशाच विवाह मान्य माने जाते हैं। वैश्य और शूद्रों के बीच इन विवाहों को मान्य करने के लिए बौद्ध धर्म दो अजीब कारण बताता है। पहला यह कि महिलाओं की कोई इज्जत नहीं होती और दूसरी यह कि दोनों खेती और सेवा का बुरा काम करते हैं। मनु और महाभारत ने पैशाच और असुर के विवाह की कड़ी निंदा की है।[3]

वैवाहिक अनुतोष की संकल्पना ,एवं काल

आजादी से पहले हिंदू कानून के तहत वैवाहिक राहत बहुत कम मात्रा में मौजूद थी। विवाह संबंध को अटूट और जन्म के बाद माना जाता है और प्रथा के अलावा तलाक मान्य नहीं था। वैवाहिक राहत से हमारा तात्पर्य विवाह के संबंध में न्यायालय द्वारा प्राप्त किसी भी निवारण से है। अंग्रेजी कानून में , इन्हें वैवाहिक मामले या वैवाहिक कार्यवाही भी कहा जाता है। स्वतंत्रता से पहले वैवाहिक राहत की अवधारणा पर विचार निम्नलिखित बिंदुओं या अवधियों पर किया गया थाः
के माध्यम से किया जा सकता है-

- वैदिक काल
- स्मृति काल
- धर्मसू काल
- महाकाव्य काल
- काल
- कौटिल्य काल
- गुप्त काल
- मध्य काल
- आधुनिक काल वैदिक काल

वेदों को सैद्धांतिक रूप में ही सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। इनमें से किसी भी मामले में , किसी भी संबंधित कानून का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। आज जिस रूप में कानून को समझा जाता है और जिसे व्यावहारिक रूप में कानून कहा जाता है , वह वेदों में नहीं मिलता है , लेकिन वेदों में कई प्रासंगिक उल्लेख और कहानियां हैं जो हिंदू कानून के कई विषयों का वर्णन करती हैं। वैदिक युग

[2] ए०आई०आर० 1972, एस०सी० 459

[3] हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1) (प ख) 71 तत्र ैव, धारा 13 का स्पश्टीकरण

में, पत्नी को निश्चित रूप से अपने पति की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह का अधिकार था। यदि पति-पत्नी का संबंध अविभाज्य है, तो पत्नी को दूसरी शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए। विधवा जीवन व्यतीत करते हुए उसे अपने मृत पति की भक्ति करनी चाहिए। हम बाद में देखेंगे कि जिस समय से हिंदू समाज ने विवाह को अविभाज्य संबंध मानने के सिद्धांत को स्वीकार किया , उसी समय से महिलाओं का दूसरा विवाह बंद हो गया। लेकिन वैदिक साहित्य में महिलाओं के पुनर्विवाह के कुछ संकेत मिलते हैं।[4]

अथर्ववेद के मन्त्र में स्त्री के पुनर्विवाह की चर्चा है - "जो कोई भी पहला पति प्राप्त करने के बाद दूसरा पति प्राप्त करता है, वे दोनों 'पंचैदान अज' को देते हैं और अलग नहीं होते हैं, जो दूसरा 'पंचैदान अज' और दक्षिणा है। अज को तेज से देता है, कि दूसरा पति एक पुनर्विवाहित महिला के समान प्रतिभा का है। हमें यहां "पंचैदानं अजा" पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है , यह एक विषयांतर है। यद्यपि अथर्ववेद में कई पतियों के संकेत मिलते हैं, लेकिन यह वर्णन अलंकारिक प्रतीत होता है। लेकिन इससे स्पष्ट है कि कुछ विषैले मामलों में महिलाओं को पुनर्विवाह का अधिकार था। वेद पुनर्विवाह की शर्तों पर अधिक प्रकाश नहीं डालते हैं।

संरक्षक ,एवं उत्तराधिकार

हिंदू विधवा के पुनर्विवाह पर, यदि न तो विधवा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को वसीयतनामा , पिता या दादा या माता या पैतृक नाना या किसी की इच्छा या स्वभाव से मृत पति के बच्चों का संरक्षक बनाया गया है। मृत पति के माता-पिता पुरुष रिश्तेदार, मृतक पति की मृत्यु के समय अधिवास के स्थान पर दीवानी मामलों में , मूल अधिकार क्षेत्र के सर्वोच्च न्यायालय में उक्त बच्चों के अभिभावक के रूप में एक उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए याचिका कर सकते हैं। और तद्पश्चात उक्त न्यायालय , यदि वह ठीक समझे , कर सकेगा। तो उसके लिए एक अभिभावक नियुक्त करना वैध होगा , जो नियुक्त होने पर, अल्पसंख्यकों के दौरान अपनी मां के स्थान पर उक्त बच्चों या उनमें से किसी की देखभाल और अभिरक्षा का हकदार होगा, और ऐसी नियुक्ति करने में न्यायालय जहां तक संभव हो , उन बच्चों की संरक्षकता से संबंधित प्रभावी कानूनों और नियमों द्वारा निर्देशित होना चाहिए जिनके न तो पिता हैं और न ही माता।

बशर्ते कि जब उक्त बच्चों के पास अल्पसंख्यकों के दौरान उनके भरण-पोषण और उचित शिक्षा के लिए पर्याप्त व्यक्तिगत संपत्ति न हो, तब तक माता को, जब तक कि अल्पसंख्यकों के दौरान बच्चों की देखभाल और उचित शिक्षा के लिए प्रस्तावित अभिभावक ने सुरक्षा दायर नहीं की हो। इस अधिनियम में निहित किसी भी बात की सहमति के बिना ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसका अर्थ एक विधवा को सक्षम करना होगा , जो मरने वाले व्यक्ति की मृत्यु के समय एक निःसंतान विधवा है, जो ऐसी संपत्ति के पूरे या किसी हिस्से को विरासत में लेती है , वह इस अधिनियम के पारित होने से पहले एक निःसंतान विधवा थी, वह इसे विरासत में पाने में सक्षम होती।[5]

विधवा के अधिकार

तीन पूर्ववर्ती वर्गों में प्रावधान के अलावा, कोई भी विधवा अपने पुनर्विवाह के कारण किसी भी संपत्ति या किसी भी अधिकार को नहीं खोएगी जिसका वह अन्यथा हकदार होता, और पुनर्विवाह करने वाली प्रत्येक विधवा के पास विरासत के वही अधिकार होंगे जो उसके पास थे . जब ऐसी शादी उसकी पहली शादी होती।

विवाह को वैध करने वाले कर्म

एक हिंदू महिला, जो पहले से शादीशुदा नहीं है, के विवाह में बोले गए , किए गए या गिरवी रखे गए शब्द वैध विवाह के लिए पर्याप्त हैं, हिंदू विधवा के विवाह में बोले जाने, किए जाने या किए जाने पर उनका वही प्रभाव होगा। और किसी भी विवाह को इस आधार पर अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा कि विधवा के मामले में ऐसे शब्द, कर्म या वादे लागू नहीं होते हैं। यदि विधवा पुनर्विवाहित नाबालिग है , जिसने विवाह के बाद संभोग नहीं किया है, तो वह अपने पिता की अनुपस्थिति में, या, यदि उसके पिता नहीं हैं, तो उसके नाना या, यदि उसके पास ऐसा कोई पिता नहीं है दादा, उसकी माँ या वे सभी। अपने बड़े भाई या भाई की अनुपस्थिति में , वह अपने अगले पुरुष रिश्तेदार की सहमति के बिना पुनर्विवाह नहीं करेगी।

[4] नरेन्द्र बनाम के०मीणा, जे०टी० 2016 (10) एस०सी० 44; पंकज महाजन बनाम डिम्पल, उर्फ काजल, जे०टी० 2011 (13) एस०सी०50

[5] होमी एस0 मेहता "मेडिकल ला ऐण्ड एथिक्तस इन इण्डिया", (1963) 497

www.ignited.in

दण्ड ,एवं प्रभाव

सभी व्यक्ति जो जानबूझकर एक विवाह के लिए प्रेरित करते हैं जो धारा 8 के प्रावधानों के विपरीत है, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास , या जुर्माना, या दोनों के साथ, और इस धारा के प्रावधानों के विपरीत किए गए सभी विवाहों को घोषित किया जाएगा। न्यायालय द्वारा शून्य। किया जाएगा बशर्ते कि इस धारा के प्रावधानों के विपरीत किए गए विवाह की वैधता से संबंधित किसी भी प्रश्न में, पूर्वोक्त सहमति को तब तक माना जाएगा जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए और ऐसा कोई भी विवाह संभोग होने के बाद शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। . बहुसंख्यक विधवा या विवाह के बाद संभोग करने वाली विधवा के मामले में , उसकी अपनी सहमति उसके पुनर्विवाह को वैध और वैध बनाने के लिए पर्याप्त होगी। हालाँकि कुछ परिस्थितियों में महिला को पुनर्विवाह की अनुमति थी, लेकिन इस प्रावधान का उपयोग महिलाओं द्वारा नहीं किया गया था और शायद इसी कारण हिंदू

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 को पारित करना पड़ा।

दादाजी भीकाजी बनाम रुक्माबाई का मुख्य मार्ग इस बात का संकेत है कि कैसे न्यायालय ने "दांवा अधिकारों की बहाली" देने के उपाय को स्वीकार किया है। इस मामले में , एक उन्नीस वर्षीय हिंदू पुरुष दादा भीकाजी का विवाह ग्यारह वर्षीय रुक्माबाई से उसके अभिभावक की सहमति से किया गया था। विवाह के बाद रूक्माबाई अपने सौतेले पिता के घर रहती थी जहाँ दादा भीकाजी समय-समय पर उनसे मिलते थे। शादी के ग्यारह साल बाद , पति ने अपनी पत्नी रुक्माबाई को अपने घर चलने और साथ रहने के लिए कहा, जिसे उसने मना कर दिया। इसलिए पति ने दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए एक मुकदमा दायर किया। पत्नी रुक्माबाई की ओर से दिए गए कई तर्कों में से एक यह था कि हिंदू कानूनी ग्रंथों में ऐसा प्रावधान नहीं है और इसलिए उपचार योग्य नहीं है।[6]

आनंद विवाह अधिनियम , 1909 को सिखों में प्रचलित आनंद नामक विवाह समारोह की वैधता के बारे में संदेह को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था , और इसमें कुल पाँच धाराएँ हैं। यह पूरे भारत (जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर) तक फैला हुआ है। 88 सभी विवाह जो आनंद नामक सिख विवाह समारोह के अनुसार विधिवत या अनुष्ठित हैं, प्रत्येक अपने अनुष्ठान की तारीख से उचित और वैध होगा और होगा उचित और वैध माना जाता है। इस अधिनियम में कुछ भी नहीं -

1. सिख धर्म को नहीं मानने वाले व्यक्तियों के बीच कोई विवाह, या

2. किसी भी विवाह पर लागू नहीं होगा जिसे न्यायिक रूप से अमान्य और शून्य घोषित किया गया है। इस अधिनियम में कुछ भी सिखों के बीच प्रथागत विवाह के किसी अन्य आदेश के अनुसार विधिवत रूप से किए गए किसी भी विवाह की वैधता के प्रतिकूल नहीं होगा। इस अधिनियम में कुछ भी उन व्यक्तियों के बीच किसी भी विवाह को अमान्य करने के लिए नहीं माना जाएगा जो रक्त या किसी अन्य श्रेणी के विवाह से संबंधित हैं , जिसे सिखों की प्रथा द्वारा मान्यता प्राप्त है। कानून के अनुसार , उनके बीच की शादी अमान्य होगी। हिंदू समाज के उच्च वर्गों में तलाक की प्रथा शास्त्रों द्वारा पूरी तरह से वर्जित है, भले ही निचली जातियों में तलाक की प्रथा अनादि काल से चली आ रही हो। 1911 की भारत की जनगणना रिपोर्ट तलाक के संबंध में आधुनिक स्थिति की इस तस्वीर को चित्रित करती है - रूढ़िवादी हिंदू विवाह को एक धार्मिक संस्कार मानते हैं और इस संबंध को भंग नहीं किया जा सकता है।[7]

स्वतन्त्र भारत में हिन्दू वैवाहिक अनुतोष की स्थिति

आजादी के बाद भारत में 'हिंदू वैवाहिक राहत' की स्थिति बहुत बदल गई है, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 से पहले हिंदू कानून में वास्तविक अर्थों में वैवाहिक राहत के लिए कोई जगह नहीं थी, हालांकि कुछ कार्यवाही हो सकती थी और कुछ प्रांतों ने किया था। . इस संबंध में संबंधित कानून बनाए गए। तलाक को मान्यता देने का पहला प्रयास 1930 में बड़ौदा रियासत में , हिंदू वैवाहिक कानून में सुधार के बाद , तलाक को मान्यता दी गई थी। बॉम्बे प्रांत ने हिंदुओं में द्विविवाह की प्रथा को समाप्त कर दिया और 1946 में तलाक का कानून बनाया गया। प्रांतीय स्तर पर , मद्रास ने 1949 में हिंदू कानून और 1952 में सौराष्ट्र में इसी तरह के सुधार किए। कुछ रियासतों के तहत , आपसी सहमति से तलाक वैध था। उदाहरण के लिए, त्रावणकोर अधिनियम और कुछ मामले।

[6] आर0 आर0 मौर्यः हिन्दू विधि, चतुर्थ संस्करण, 1991 पृष्ट 153

[7] आर0 आर0 मौर्यः हिन्दू विधि, चतुर्थ संस्करण, 1991 पृश्ट 157

1 विवाह के संबंध में न्यायालय और अधिनियम द्वारा प्राप्त कोई भी निवारण वैवाहिक राहत के दायरे में आएगा। वर्तमान हिंदू कानून के तहत निम्नलिखित वैवाहिक राहत उपलब्ध है-

(ए) मुख्य वैवाहिक राहत

(ए) वैवाहिक अधिकारों की बहाली

(बी) न्यायिक पृथक्करण

(सी) विवाह की शून्यता

डी) तलाक

(ई) आपसी सहमति से तलाक

(बी) अन्य वैवाहिक राहत

1. बच्चों की धार्मिकता और संयुक्त संपत्ति

2. वैध विवाह की शर्तों के उल्लंघन के लिए सजा

3. न्यायालय और उसकी प्रक्रिया

4. रखरखाव

5. बच्चे की संरक्षकता

मुख्य वैवाहिक अनुतोष

वैवाहिक राहत को हिंदू विवाह अधिनियम , 1955 के तहत मान्यता प्राप्त है। यह अधिनियम 10 मई, 1955 को लागू हुआ। यह अधिनियम हिंदुओं के किसी भी वर्ग पर लागू होता है। इस प्रकार , यह अधिनियम लिंगायत , ब्रह्म समाजियों, आर्य समाजियों, जैनियों, सिखों और बौद्धों और उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है , जिन्होंने अन्य धर्मों से इन उपरोक्त धर्मों में परिवर्तन किया है। यह अधिनियम भारत के लगभग प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए विस्तारित है। जो धर्म से मुस्लिम , ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जिनके माता-पिता धर्म से हिंदू , बौद्ध, जैन या सिख हैं और जिनका पालन-पोषण ऐसी जाति , समुदाय द्वारा किसी समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया जाता है। हिंदू , बौद्ध, जैन या सिख धर्म अपनाने वाला व्यक्ति भी इसके अंतर्गत आता है।[8]

पति-पत्नी के एक-दूसरे के साथ सहवास और सहवास के दायित्व का निर्माण विवाह का कानूनी परिणाम है। बशर्ते कि यदि एक पक्ष बिना उचित कारण के दूसरे पक्ष के साथ रहने से इनकार करता है , तो दूसरा पक्ष "संयुग्मिक अधिकारों की बहाली के सिद्धांत" द्वारा पहले पक्ष को उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में, यह उपाय ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था और साथ ही सभी जातियों के सदस्यों के लिए उपलब्ध था। हिंदू विवाह अधिनियम , 1955 की धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का प्रावधान किया गया है। नागरिक प्रक्रिया संहिता में , प्रतिवादी की संपत्ति को कुर्क करके दाम्पत्य अधिकारों की बहाली को लागू किया जा सकता है।[9]

"धारा 9 के अनुसार, जिला न्यायालय दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए केवल तभी डिक्री बना सकता है जब पति-पत्नी में से कोई एक उचित कारण के बिना, दूसरे के साथ रहना बंद कर देता है , और दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए किए गए आवेदन द्वारा , ऐसा न्यायालय कथन की सत्यता से संतुष्ट है और याचिका को खारिज करने का कोई वैध आधार नहीं है। इस धारा के स्पष्टीकरण के अनुसार , उचित कारण साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जिसने साथ रहना छोड़ दिया है। लक्ष्मण उत्तमचंद कृपलानी बनाम मीनार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि विवाह का एक पक्ष दूसरे पक्ष की सहमति के बिना विवाह को स्थायी रूप से समाप्त करने के इरादे से त्याग देता है, तो उसे परित्याग के रूप में माना जाएगा , लेकिन केवल हताशा या क्रोध से। . क्योंकि क्षणिक त्याग "त्याग" की श्रेणी में नहीं आएगा।

धारा 9 के तहत दाम्पत्य अधिकारों की बहाली का फरमान तभी जारी किया जा सकता है जब -

(ए) शादी के एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के साथ रहना बंद कर दिया है,

[8] पेक द्वारा लिखित पुस्तक "द ला आफ पर्सन्स ऐण्ड डोमेस्टिक रिलेशन्स" पैरा 109

[9] आर0 आर0 मौर्यः हिन्दू विधि चतुर्थ संस्करण, 1991 पृ0 162

www.ignited.in

(बी) उचित कारण के बिना ऐसा है,

(सी) पीड़ित पक्ष ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए जिला न्यायालय में याचिका दायर की है,

(डी) अदालत ऐसी याचिका से संतुष्ट है, और

(म) ऐसी याचिका को अस्वीकार करने का कोई वैध आधार नहीं है।

विवाह के एक पक्ष द्वारा परित्याग या परित्याग धारा 9 (वंशज) में वर्णित साथी से अलग होने का अर्थ है याचिकाकर्ता के साथी को उसकी अनुमति के बिना छोड़ना , राजस्थान उच्च न्यायालय साधु सिंह बलवंत सिंह बनाम श्रीमती। जगदीश कौर ने कहा कि धारा 9 के तहत डिक्री प्राप्त करने के लिए दो चीजों का साबित होना जरूरी है-

- प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के साथ रहना बंद कर दिया है, और
- ऐसा करने का कोई उचित कारण नहीं है।

दाम्पत्य अधिकारां की पुनस्थापना के लिए याचिका

तलाक और दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए याचिका वादपत्र के रूप में होनी चाहिए और याचिका का उत्तर लिखित बयान के रूप में होना चाहिए। केवल देरी के आधार पर पत्नी को राहत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के मुकदमे में पति को सफल होने के लिए , यह साबित करना होगा कि पत्नी के साथ रहने और विवाहित जीवन जीने के लिए उसकी इच्छा ईमानदार और वास्तविक है। [10]

अगर अदालत याचिका से संतुष्ट है , तो धारा 9 के तहत राहत तभी दी जाएगी जब अदालत संतुष्ट हो कि दूसरा पक्ष बिना किसी उचित कारण के अलग हो गया है। तर्कसंगतता का निर्धारण न्यायालय द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है और उचित कारण को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो स्वयं विवाह के दूसरे पक्ष से अलग रह रहा होता है। इस धारा के तहत दायर याचिका की सफलता के लिए याचिकाकर्ता को सद्भाव में होना चाहिए। यदि याचिका सद्भावना से दायर नहीं की गई है या किसी दुर्भावना या गलत मकसद से दायर की गई है, तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के लिए राहत की संवैधानिकता , दाम्पत्य अधिकारों की बहाली के संबंध में , यह सवाल उठा कि क्या यह राहत व्यक्ति के स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है ? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने सकारात्मक उत्तर दिया , जबकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने नकारात्मक में उत्तर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब नेगेटिव देकर इस सवाल पर विराम लगा दिया।

धारा 16 की संवैधानिकता

सुप्रीम कोर्ट ने परायन कांदियाल इराबाथ बनाम के.देवी 2 में कहा कि धारा 16 का वह हिस्सा नाजायज बच्चों को वर्गीकृत करता है। यह संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत शून्यकरणीय विवाह से पैदा हुए बच्चों की रक्षा करता है। चाहे विवाह शून्य हो या शून्यकरणीय , ऐसे विवाह से पैदा हुए बच्चों को वैध माना जाएगा और उन्हें अपने माता-पिता की संपत्ति विरासत में मिलेगी। अन्य रिश्तेदारों की संपत्ति में कोई वारिस नहीं होगा। वैधता के कारण बच्चों को समाज में सम्मान मिलता है और उनका अपना एक स्थान होता है।[11]

दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों के पिता की संपत्ति में हिस्सा एक मुकदमे में , एक सरकारी कर्मचारी ने पहली पत्नी से और बिना तलाक के शादी की। कर्मचारी की मौत के बाद पारिवारिक पेंशन और ग्रेच्युटी को लेकर दोनों विधवाओं में झगड़ा हो गया। यह निर्णय लिया गया कि दूसरी शादी से पैदा हुए बच्चों को पेंशन और ग्रेच्युटी में हिस्सा मिलेगा , लेकिन दूसरी विधवा को कुछ भी देय नहीं होगा।282

जहां एक हिंदू का दूसरा विवाह 1954 में हुआ था जब पहली पत्नी की दो बेटियां और दूसरी पत्नी के चार बेटे थे, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में बेटों की वैधता को चुनौती दी गई थी , जिसमें कहा गया था कि पुत्र पैदा हुए थे। दूसरी पत्नी के वैध थे जबकि पहली पत्नी की केवल बेटियां थीं और दूसरी पत्नी से पैदा हुए बेटे यूपी जमींदारी और भूमि बंदोबस्त अधिनियम की

[10] मुल्ला: हिन्दू विधि के सिद्धान्त, जिल्द 2, प्रथम हिन्दी संस्करण, 2001 पृश्ठ 194

[11] https://blog.ipleaders.in/can-order-dismissing-application-section-16-arbitration-conciliation-act-challenge/

धारा 171 के मद्देनजर मृतक की संपत्ति के वारिस के हकदार हैं, न कि पहली की बेटियां बीवी। होगा

वैध विवाह की शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड अधिनियम की धारा 17 के अनुसार, "यदि, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर, दो हिंदुओं के बीच कोई विवाह अनुष्ठापित किया जाता है, तो ऐसे विवाह के पक्षकारों में से किसी एक का जीवनसाथी जीवित था या ऐसा विवाह शून्य होगा, और भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।" इस प्रकार, अधिनियम की धारा 17 में प्रावधान है कि दो हिंदुओं के बीच कोई भी विवाह अमान्य है यदि यह इस अधिनियम के प्रारंभ के बाद अनुष्ठापित किया गया था। , जब विवाह की तिथि पर दोनों पक्षों में से कोई एक पहले से ही एक जीवित पत्नी या पति था। यह धारा अनिवार्य रूप से एक विवाह के नियम को लागू करती है और बहुविवाह और बहुविवाह दोनों को प्रतिबंधित करती है। यदि कोई पुरुष या महिला दोबारा शादी करने की स्थिति में फिर से शादी करती है पहली शादी में , उस पर भारतीय दंड संहिता , 1860 की धारा 494 और 495 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। सकता है।

जब कोई व्यक्ति अपनी पिछली शादी को छुपाकर किसी अन्य व्यक्ति से शादी करता है , तो ऐसे मामले में सजा एक अवधि के लिए कारावास है जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना इसके अतिरिक्त होगा। अतः धारा 17 के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जिस विवाह में अधिनियम के प्रावधानों के कारण लागू होती है , उसे उचित रीति से और उचित संस्कारों के साथ मनाया जाना चाहिए। कुछ संस्कारों को केवल इस आशय से करना कि पक्षकारों को विवाहित माना जाना चाहिए, यह कानून द्वारा निर्धारित संस्कार नहीं होंगे या किसी वैध प्रथा द्वारा पुष्टि नहीं की जाएगी।

हिंदू विवाह की कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 18 हिंदू विवाह की कुछ अन्य शर्तों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करती है। प्रत्येक व्यक्ति जो विवाह की कुछ शर्तों के उल्लंघन में विवाह को अनुष्ठापित करता है, वह होगा सजा हैः-

(क) "प्रतिसिद्ध नातेदारी" या "सपिण्डता" खण्ड- यदि विवाह के पक्षकार "निषिद्ध नातेदारी" या "सपिनदाता-संबंध" में आते हैं और दोनों पक्ष प्रथा द्वारा भी सहमति नहीं देते हैं , तो पार्टी को साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है , या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है , या दोनों हो सकते हैं।

(ख) आयुः- शादी की तारीख को दूल्हे की उम्र 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए। यदि इस न्यूनतम आयु के प्रावधान का उल्लंघन किया जाता है , तो पक्षकारों को कठोर कारावास से , जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अधिनियम में धारा 24 को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा करने के लिए शादी के किसी भी पक्ष के खिलाफ जिसके खिलाफ वैवाहिक मुकदमा शुरू किया गया है कि पति या पत्नी को उनकी गरीबी के कारण कष्ट न हो। धारा 24 के तहत ऐसे आवेदन पर न्यायालय को तत्काल आदेश पारित करना ताकि शादी के पक्षकारों के मामले प्रभावित न हों। जहां दोनों पक्ष इस तरह का मामला कोर्ट के सामने पेश किया है, फिर कोर्ट उस आवेदन को स्वीकार कर सकते हैं जिसे जरूरतमंद समझा जाता है और आवेदन खारिज किया जा सकता है। पंजाब के एक मामले में पति ने प्रतिवादी को पत्नी बनाया और उसके साथ अपने विवाह को भंग करने के लिए एक याचिका दायर की दी गई अर्जी के तहत कोर्ट ने पत्नी की अर्जी मंजूर कर ली। जब पत्नी के पास अपनी रक्षा और निर्वाह के लिए पर्याप्त पृथक साधन हों है, तो वह न तो निर्वाह का हकदार है और न ही कार्यवाही के दौरान खर्च का। और अगर पति के पास न तो संपत्ति है और न ही कमाने की क्षमता अदालत कोई अंतरिम गुजारा भत्ता नहीं देगी।

इन सिद्धांतों पर यह तलाक के मामलों से संबंधित कानूनी मुकदमे पर आधारित है और पति द्वारा पत्नी को कार्यवाही के खर्च के भुगतान के लिए नियमों के प्रावधान। यह खंड उन सिद्धांतों को अपनाता है और एक क्रांतिकारी बन जाता है आगे की कार्यवाही जब यह विहित करे कि ऐसा कोई आदेश न केवल पति के पक्ष में किया जा सकता है, लेकिन पति के पक्ष में भी है। इस अधिनियम की धारा 24 के तहत कार्यवाही के खर्च और यह अदालत के विवेक पर है कि वह वाद के रखरखाव का आदेश दे लेकिन यह विवेक न्यायिक होना चाहिए और कुछ कानूनी सिद्धांतों पर प्रयोग किया जाना चाहिए। और अनुचित पक्ष

www.ignited.in

या संयोग से नहीं। लेकिन इस संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता है और विवेक का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक विशेष मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. बसु, डी.डी. एण्ड अकबर, एस.एच.के.; हिन्दू विधि, एलिया ला एजेन्सी (2007) ख्282,
2. बनर्जी, जी.; हिन्दू ला एण्ड मैरेज एण्ड स्त्रीधन (1923) पाचवा संस्करण।
3. मौर्य, आर.आर.; हिन्दू विधि, सेण्ट्रल ला एजेन्सी (1991), चतुर्थ संस्करण।
4. मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ एण्ड कुमार , डा. विजेन्दर; मेंन्स ट्रिटीज आन हिन्दू ला एण्ड यूसेज, भारत ला हाउस, नई दिल्ली (2003) 15वा संस्करण।
5. मित्तल, जे.के.; भारत का वैधानिक एवं संवैधानिक इतिहास, इलाहाबाद ला एजेन्सी पब्लिकेषन्स।
6. मेन्स्की, वारनर; हिन्दू ला: बियाण्ड ट्रेडिान एण्ड मार्डनिटी, आक्सफोर्ड यूनिवरसिटी प्रेस (2003)।
7. मेन; हिन्दू ला एण्ड यूजेज (2000), 14वा संस्करण।
8. राघवाचार्या, एन.आर.; हिन्दू ला, 7वा संस्करण।
9. रामचन्द्रन, वी.जी.; फण्डामेण्टल राइट एण्ड कान्स्टीट्यूशनल रेमेडिज (1974), द्वितीय संस्करण।
10. सेन, पी.एन.; द जनरल प्रिंसपल आॅफ हिन्दू ज्यूरिसप्रूडेन्स।
11. त्रिपाठी, डा.वी.एन.एम.; ला आफ धर्मषास्त्र।
12. दीवान, पारस एण्ड दीवान पियूषी; मार्डन हिन्दू ला, इलाहाबाद लाॅ एजेन्सी (1995), 10वा संस्करण।
13. डेविस, जूनियर डोनाल्ड आर.; द स्प्रिट आफ हिन्दू ला, कैम्ब्रीज यूनिवरसिटी प्रेस, कैम्ब्रीज (2010)

Corresponding Author

Sanjay Kumar Sharma*

Research Scholar, OPJS University